

0

Registered Post



MOST URGENT

No. EDN-HE (21) B (15) 03/2022-SCERT/GCTE (N.E.P.)-

Directorate of Higher Education,

Himachal Pradesh, Shimla-1

Telephone No. 0177-2656621, 2653120, Extn. 234, Fax: 2812882

E-mail: dhe-sml-hp@gov.in & E-mail: genbr@rediffmail.com

Dated: **Shimla-1** the **30th May, 2022**

To

All the Deputy Directors of Higher Education,
in Himachal Pradesh.


Subject: - Regarding School Complexes/Clusters as per NEP, 2020.

Please refer to this Directorate letter of even number dated: 03.12.2022 on the subject cited above.

In this connection, it is to inform you that the Government has given approval to constitute 1023 Government Senior Secondary School Complexes/Clusters in Department of Higher Education as per national Education Policy-2020 (Photocopy enclosed for ready reference).

You are, therefore hereby directed to take further necessary action in the matter immediately and send the action taken report to this Directorate as soon as possible, so that the A.D. can be apprised in the matter accordingly.

Further, you are hereby directed that if any Government Primary School, Government Middle School, Government High School is upgraded and made functional then that schools be included in a particular cluster as per guidelines circulated to you for formation of school clusters vide letter of even number dated: 26.02.2021. Also inform the Directorate of Higher Education after necessary action.



(Dr. Amarjeet K Sharma)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1

Endst. No. **Even** **Dated:** **Shimla-171001** the **30th May, 2022**

Copy for information to:-

- 1 The Principal Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. his/her letter No. EDN-B-Chha (7)-12011-Vol-III-dated: 11.05.2022.
- ✓ 2 The Technical Officer (Computer/IT Cell), Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-1 to upload the letter on Departmental website.
- 3 Guard File.




Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1

स्कूल कम्प्लेक्स / क्लस्टर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्याय सात 'स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर' के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस' में स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर की आवश्यकता, उद्देश्य, भूमिका, विविध विषयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने, संसाधन क्षमता, समन्वय, प्रभावी नेतृत्व और स्कूलों को सामाजिक चेतना केन्द्र के रूप में भूमिका पर चर्चा की गई है। विद्यालयों के समूह बनाने से विद्यालयों की कला, संगीत, खेल, व्यावसायिक विषयों, कंप्यूटर आदि की शिक्षा, विषय से सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा प्रदान करना सम्भव होगा। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं साझा रूप से प्रयोग की जा सकेंगी। शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, आई0सी0टी0 के माध्यम से बर्चुअल कक्षाओं का आयोजन, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, नाटक, एंकाकी की संयुक्त तैयारी और प्रदर्शन सुगम होगा। दिव्यांग बच्चों और पढ़ाई में पिछड़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग से सार्थक परिणाम निकलेगे। विद्यालयों, संस्थान प्रमुखों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता-पिता, स्कूल कम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों, स्थानीय निकायों, नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरा शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर को अधिक जिम्मेदार व नवाचारी बनाने के लिए एक अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है।

(I) स्कूल कम्प्लेक्स / क्लस्टर स्थापना हेतु योजना

स्कूल कम्प्लेक्स / क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली पाठशालाओं की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसे सोच समझ तथा व्यापक विचार विमर्श के बाद पूरा किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से बहुत अधिक विविधता होने के कारण एक क्लस्टर में शामिल किये जाने वाले विद्यालयों के लिए दूरी का पैमाना रखना व्यावहारिक नहीं होगा। क्लस्टर स्थापना का उद्देश्य अध्यापकों विशेष तौर पर ललित कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवम् परामर्शदाताओं का साझाकरण, शिक्षा सामग्री का संयुक्त निर्माण एवम् साझाकरण, सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल उपकरण का आवश्यकतानुसार साझाकरण, छात्र गतिविधियों जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद, भाषण, पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का संयुक्त आयोजन, दिव्यांग और पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सहयोग और संबलन और स्कूली व्यवस्था में सुधार का क्रियान्वयन साझे प्रयासों से सुगमता से हो सके। क्लस्टर स्थापना हेतु सुगमता ही आधार होगा। यदि कोई विद्यालय भौगोलिक कारणों से बहुत ही अलग-थलग है तो उसे उसे क्लस्टर में शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा। उस स्कूल के अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उस स्कूल के विद्यार्थियों का भी सर्वांगीण विकास किया जा सके। वित्तीय सहायता से सुविधाओं और उपकरणों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एक क्लस्टर में विद्यार्थियों एवम् विद्यालयों की संख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सुविधाओं के सुगमता पूर्वक साझाकरण, टीमवर्क को बढ़ावा देने, कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों के अलगाव से होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में विकसित किये जाएंगे। साधारणतया एक क्लस्टर में पाठशालाओं की संख्या 4-12 तथा विद्यार्थियों की संख्या 200-2000 और आपस में अधिकतम दूरी

पाँच किलोमीटर तक उचित रहेगी। विभिन्न वर्गों के लिए प्रशासनिक संरचना व पदोन्नति के रास्तों का स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(II) संरचना

- (1) एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के आसपास सभी सरकारी उच्च, मिडिल और प्राथमिक (प्री-प्राइमरी कक्षाओं के साथ) विद्यालय क्लस्टर के रूप में विकसित किये जाएंगे।
- (2) एक ही शहर/नगर में स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए युगल समूह का प्रावधान।
- (3) एक ही स्तर (वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च/मिडिल/प्राइमरी) के निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच स्वेच्छा से परस्पर सहयोग, अच्छी प्रैक्टिस और संसाधनों का साझाकरण करने के लिए युगल समूह।
- (4) महाविद्यालय अपनी क्षमताओं के अनुसार एक या एक से अधिक स्कूल कम्प्लेक्सों को कैरियर, खेल एवम् सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अपना सकते हैं। अपने संस्थान में उपलब्ध सुविधाएँ जैसे बहु-उद्देशीय हाल, खेल मैदान, खेल सामान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास रूम तथा भाषा प्रयोगशाला आदि की सुविधाएँ स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं इससे स्कूल के विद्यार्थियों का मनोबल ऊँचा होगा और उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा के बाद वे विद्यार्थी जब महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे तो निश्चित ही उच्च शिक्षा संस्थानों को अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे जिससे उच्च शिक्षा में भी अधिक गुणवत्ता का विकास संभव होगा। इसके अतिरिक्त स्कूल अध्यापकों की क्षमतावृद्धि में भी महाविद्यालय फ़ैकल्टी योगदान दे सकती है।

स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर की स्थापना जिला उप शिक्षा अधिकारी (उच्च शिक्षा) की देख-रेख व अन्य जिला उप शिक्षा अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा ब्लॉक के स्तर पर पाठशाला प्रमुखों, अध्यापकों, सहयोगी स्टाफ, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, स्थानीय जनता व प्रतिनिधियों से सार्थक विचार विमर्श और जहाँ तक संभव हो आपसी सहमति से की जाएगी। विभिन्न अध्यापक और गैर-शिक्षक कर्मचारी संगठनों के सुझाव भी प्रभावी क्लस्टर बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। क्लस्टर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि क्लस्टर में सम्मिलित पाठशालाओं के बीच सुविधाओं का साझाकरण सुगमता से हो सके और क्लस्टर में शामिल होने पर अध्यापक, छात्र-छात्राएँ और आम जनता तनाव के बजाय प्रसन्नता व सहभागिता महसूस करें।

(III) स्कूल प्रबन्धन समिति और स्कूल कम्प्लेक्स प्रबन्धन समिति

स्कूल प्रबन्धन समितियों की व्यवस्था पूर्व की भांति यथावत रहेगी इसके अतिरिक्त बेहतर सामाजिक स्थापित करने के उद्देश्य से एक स्कूल कम्प्लेक्स प्रबन्धन समिति का गठन भी किया जाएगा जिसमें हर पाठशाला के प्रमुख/वरिष्ठ अध्यापक को इसमें शामिल किया जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबन्धन समिति का स्वरूप निम्नलिखित होगा।

- 1 **अध्यक्ष:-** वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के स्कूल प्रबन्धन कमेटी का अध्यक्ष क्लस्टर स्कूल की प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष होंगे।
- 2 **सदस्य सचिव :-** वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुखिया।
- 3 **सदस्य:-**

- I कम्प्लेक्स/क्लस्टर स्कूल के अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों के मुखिया।
- II सभी शिक्षण संस्थानों के स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष।
- III प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।
- IV राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त एक अध्यापक।
- V कम्प्लेक्स/क्लस्टर के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक आंगनबाड़ी से एक सदस्य।
- VI प्री प्राईमरी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली एक शिक्षिका/शिक्षक

4 महिला सदस्य:- यदि गठित समिति में कोई महिला न हो तो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य अपने स्कूल की महिला शिक्षिका को सदस्य बनाएंगे।

5 सहयोगी सदस्य:-

I उस क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद।

II कनिष्ठ अभियंता (चॅण्क्व ब्यअपस)।

स्कूल प्रबन्धन समितियों के गठन का उद्देश्य शिक्षा में माता-पिता और समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

(IV) कार्यान्वयन

प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा निदेशालय स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर को अधिक अधिकार प्रदान करेंगे जो कि एक अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला उप शिक्षा निदेशक और ब्लाक शिक्षा अधिकारी हर स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर को एक इकाई मान कर उसके साथ कार्य करेंगे कम्प्लेक्स, शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभायेंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल से समन्वय करेंगे।

वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। समूह में शामिल सभी पाठशालाएँ कक्षा/विषयवार विद्यार्थियों की संख्या, स्टाफ की शैक्षणिक योग्यताओं, दक्षताओं और प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण, प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध जमीन और सुविधाओं की नवीनतम जानकारी क्लस्टर की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उपलब्ध करवायेंगे। क्लस्टर के स्कूल अपनी क्षमताओं और परस्पर सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क और स्टेट पाठ्यफ्रेमवर्क का अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे।

(V) स्कूल एवम् स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर विकास योजना

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, योजनाबद्ध तरीके से विकास करने तथा कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर पाठशाला एसएमसी के सहयोग से वार्षिक तथा पंचवर्षीय (**School Development Plan SDP**) योजना बनायेंगे। स्कूलों के प्लान के आधार पर स्कूल कम्प्लेक्स/क्लस्टर विकास योजना (**School Complex Development Plan, SCDP**) एससीएमसी की सहायता से तैयार की जाएगी जिस में व्यवसायिक शिक्षा का प्लान भी शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं को सार्वजनिक रूप से वैंबसाइट या अन्य माध्यमों से उपलब्ध करवाया जायगा। इन योजनाओं

में मानव संसाधन, शिक्षण अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन और आधारभूत संरचना के लिए की जाने वाली पहल वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति सम्बन्धी पहल, शिक्षक क्षमता संवर्धन योजना और वैश्विक परिणामों सम्बन्धी लक्ष्य शामिल होंगे। उसमें कम्प्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को एक जीवंत अधिगम केन्द्रित समुदाय (टपइतंदज समंतदपदह बवउउनदपजल) के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा। स्कूल प्रबन्धन तथा स्कूल कम्प्लेक्स प्रबन्धन समितियों के तथा बच्चों का उपयोग स्कूलों की कार्यप्रणाली तथा दिशा पर नजर रखने के लिए उपयोग करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन में सार्थक सहयोग देंगे। स्कूल और क्लस्टर अपनी योजनाओं को स्वीकृति के लिए जिला उप-शिक्षा निदेशक के पास प्रस्तुत करेंगे और वहाँ जिलास्तरीय शिक्षा अधिकारियों की कमेटी द्वारा अवलोकन किया जायेगा तथा आवश्यक सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के उपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे इन योजनाओं की सफलता के लिए अल्पावधि (एक वर्ष) और दीर्घावधि (पांच वर्ष) के लिए वित्तीय, मानव, भौतिक संसाधन व अन्य प्रासंगिक सहयोग सरकार तथा स्थानीय स्तर पर परोपकारी प्रयासों द्वारा उपलब्ध करवाये जाएंगे। एस0सी0ई0आर0टी0 सभी स्कूलों की एस0डी0पी0 और एस0सी0डी0पी0 के विकास के लिए विशेष मानक उदाहरण के लिए वित्तीय, स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

(VI) बालभवन

प्रत्येक स्कूल कम्प्लेक्स में बालभवन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जहाँ हर उम्र के बच्चों इच्छानुसार कला, खेल और कैरियर सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। बालभवन में बच्चों का स्वेच्छा से मार्गदर्शन करके सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और प्रशिक्षक जीवन के दूसरे पड़ाव को सार्थक कर सकते हैं। सेवा और मार्गदर्शन के माध्यम से अपने और बच्चों की जिन्दगी में खुशियाँ ला सकते हैं।

VI पूर्व विद्यार्थियों और समुदाय की सहभागिता

स्कूल को पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान बनाने के लिए स्कूल के स्थापना दिवस, रजत जयन्ती, स्वर्ण जयन्ती, संस्थान एवम् पाठशाला के पूर्व छात्र-छात्राओं की उपलब्धियों को मिल जुल कर उल्लासपूर्वक मनाने की जरूरत है। पाठशाला में विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित कर उनका महत्त्वपूर्ण आयोजनों में सम्मान करना, विद्यार्थियों को मेहनत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को स्कूल पत्रिका द्वारा प्रेरणादायक पूर्व छात्रों की जीवनी भी उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित है। उनके फोटो भी परिसर में लगाये जा सकते हैं। समाज में जागरूकता फैलाने, योग, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में जब पढ़-पाठन का कार्य नहीं हो रहा हो तो भवन और परिसर का उपयोग सामाजिक चेतना केन्द्र के रूप में किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश की पाठशालाओं में स्कूल कम्प्लेक्स की स्थापना 2015-16 में की गई है। इनके सफलतापूर्वक संचालन में स्कूल प्रमुखों, अध्यापकों, सहयोगी स्टाफ और विद्यार्थियों का महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुसार शिक्षक समुदाय से सामूहिक रूप से शिक्षा सामग्री तैयार करने, साझा करने, सुविधाओं का मिलजुल कर उपयोग करने की अपेक्षा है। परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने में गर्व महसूस होना चाहिए। अच्छा शिक्षक हमेशा अच्छे विद्यार्थियों की तलाश में रहता है और होनहार विद्यार्थी भी अच्छे गुरु की खोज करता रहता है। स्कूल क्लस्टर की स्थापना इस दिशा में सार्थक प्रयास सिद्ध हो सकता है। स्कूल क्लस्टर की स्थापना से जहाँ शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर कोई प्रभाव नहीं

पड़ेगा वहीं विषयों की विविधता बढ़ेगी। हर विषय के अध्यापक उपलब्ध होंगे व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान हर कम्प्लेक्स में उपलब्ध करवाना संभव होगा। बस जरूरत है टीम वर्क की और उदार हृदय से इस योजना को सफल बनाने की। आशा है कि छात्र-छात्राएं, शिक्षक व सहयोगी स्टाफ और अभिभावक इस प्रयास का खुले दिल से स्वागत करेंगे।

कम्प्लेक्स के सभी स्कूलों की क्षमताओं के तालमेल से नये वातावरण का निर्माण होगा। संगठित प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। सामूहिक प्रयासों से आगे कैसे बढ़ा जाता है, छात्र-छात्राओं के समक्ष यह एक उदाहरण के रूप में पेश होगा। विद्यार्थियों के सशक्तिकरण से उनका मनोबल बढ़ेगा और समन्वित शिक्षा प्रदान करने में यह रचनात्मक कदम सिद्ध होगा।